न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार यादव R.A.S.

मुकदमा नं0 145/2017 राजस्व वाद

1- [illegible] सिंह

2- [illegible] पिसरान दुर्गाप्रसाद जाति अहीर निवासी दीवान मौहल्ला कस्बा कामां

3- [illegible]

4- [illegible] पिसरान मंगल

5- [illegible]

6- [illegible] पुत्रीयान मंगल जाति अहीर निवासी बंगन का नगला तहसील कठूमर जिला अलवर

7- [illegible]

8- [illegible]

9- [illegible]

10- [illegible]

11- [illegible] पिसरान ग्यासो जाति अहीर निवासी ग्राम दुर्गापुर (कामर)तहसील छाता जिला मथुरा

वादीगण

बनाम

1- [illegible] पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति अहीर निवासी दीवान मौहल्ला कामां

2- [illegible]

3- [illegible]

4- [illegible] पुत्रीयान ग्यासो जातियान अहीर निवासी ग्राम दुर्गापुर तहसील छाता जिला मथुरा

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53.188 R.T.Act

निर्णय

दिनांक 20 02.2019

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा, 53.188 के तहत [illegible] का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 4261/0.44, वाके कस्बा कामां नं0 2 [illegible]/1.52, किता 2 रकवा 0.96 हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3 तहसील कामां [illegible] है [illegible] की सम्मिलित कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सों के मुताबिक मनवट कर काश्त करते चले आ रहे [illegible] वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी वटवारा नहीं हुआ है । जिसके कारण

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी वटवारा नहीं हुआ है । जिसके कारण
वादीगण व प्रतिवादीगण में आपस में तनाजा बना रहता है। आराजी मुतदाविया का मुताबिक
हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी का विधिवत कानूनी बटवारा करने
को कहा तो । विधि बजह वादीगण व प्रतिवादीगण जरिये अदालत आराजी मुतदाविया का
मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन
कराकर राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक खाता व पृथक राज लगान निर्धारित करा पाने के
अधिकारी है । जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है।
प्रतिवादीगण वादी के बीच बटवारा किया जावे तथा पृथक पृथक खाता व पृथक पृथक लगान
कायम किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जा कर दावा की जबाव देही हेतु प्रतिवादी को जरिए
सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित अदालत आये। प्रतिवादी
अधिवक्ता द्वारा मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी प्रतिवादी सं०
1 लगा० 4 को आराजी मुतादाविया मुताबिक हिस्सा अच्छी में अच्छी व बुरी में से बुरी के
कुर्रेजात बनाये जाकर हिस्सा दिलाया जावे। दिनांक 23.01.2019 को प्राथमिक डिक्री किया
जाकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुर्रे तैयार करने हेतु तहसीलदार कामा को
दोनो पक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव हेतु डिक्री किया गया। तहसीलदार कामां द्वारा
दिनांक 14.02.2019 को विभाजन प्रस्ताव कार्यालय के पत्रांक/रीडर/19/180 दिनांक 14.
02.2019 को आराजी ख0नं0 4261/0.44, वाके कस्बा कामां नं0 2 4554/1/0.52, किता 2
रकबा 0.96 हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3 के निम्न प्रकार तैयार कर प्रस्तुत किये है

1– मोहन सिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद कौम अहीर सा0 देह खातेदार आराजी ख0नं0 4261/3/0.
14, वाके कस्बा कामां नं0 2 , 4554/1/1/0.11, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3
2–जगदीश पुत्र दुर्गा प्रसाद कौम अहीर सा0 देह खातेदार आराजी ख0नं0 4261/1/0.
15, वाके कस्बा कामां नं0 2 , 4554/1/3/0.11, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3
3– भगवानसिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद कौम अहीर सा0 देह खातेदार आराजी ख0नं0 4261/2
/0.15, वाके कस्बा कामां नं0 2 ,4554/1/2/0.11, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3
4 – विष्णु पुत्र बालकिशन नमासा दुर्गाप्रसाद सपना, राधा नमासी दुर्गाप्रसाद कौम अहीर
साकिन देह खातेदार 4554/1/4/0.15, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3
5– गंगाचरण , शेरसिंह, गजराज , राजवीर , भूरा ,पुत्रान ग्यासो केशर, कस्तूरी, अगूरी
पुत्रीयान ग्यासो कौम अहीर साकिन देह खातेदार 4554/1/5/0.04, हैक्टयर वाके ग्राम
कस्बा कामां नं0 3

मौके पर विष्णु, बालकिशन नमासा दुर्गाप्रसाद, सपना, राधा, नमासी दुर्गाप्रसाद व
गंगाचरण शेरसिंह,गजराज, राजवीर , भूरा, पुत्रान ग्यासो, केसर कस्तूरी अंगूरी पुत्रीयान ग्यासो
कौम अहीर उपस्थित नहीं आये । उपस्थित खातेदारों के हस्ताक्षर कराये गये

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजो व कुर्रे रिपोर्ट का
अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकार अधिवक्ताओ ने कुर्रे रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं

उपखण्ड. अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

तहसीलदार कामां से प्राप्त कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर पक्षकार के मध्य बंटवारा किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि –

वाद वादीगण का डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार कामां द्वारा दिनांक 14.02.2019 को विभाजन प्रस्ताव कार्यालय के पत्रांक/रीडर/19/180 दिनांक 14.02.2019 को आराजी खानं0 4261/0.44, वाके कस्बा कामां नं0 2 4554/1/0.52, किता 2 रकवा 0.96 हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3 के अनुसार निम्न प्रकार बादी प्रतिवादी गण के मध्य इस प्रकार विभाजन किया जाता है :–

1– मोहन सिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद कौम अहीर सा0 देह खातेदार आराजी ख0नं0 4261/3/0.15, वाके कस्बा कामां नं0 2 , 4554/1/1/0.11, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3

2– जगदीश पुत्र दुर्गा प्रसाद कौम अहीर सा0 देह खातेदार आराजी ख0नं0 4261/1/0.15, वाके कस्बा कामां नं0 2 , 4554/1/3/0.11, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3

3– श्यामसिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद कौम अहीर सा0 देह खातेदार आराजी ख0नं0 4261/2/0.15, वाके कस्बा कामां नं0 2 ,4554/1/2/0.11, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3

4– पिंकी पुत्री बालकिशन नमासा दुर्गाप्रसाद सपना, राधा नमासी दुर्गाप्रसाद कौम अहीर साकिन देह खातेदार 4554/1/4/0.15, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3

5– ग्यासीराम , शेरसिंह, गजराज , राजवीर , भूरा ,पुत्रान ग्यासो केशर, कस्तूरी, अगूरी पुत्रीयान ग्यासो कौम अहीर साकिन देह खातेदार 4554/1/5/0.04, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3

तहसील कामां जिला भरतपुर बंटवारे अनुसार काबिज रह कर काश्त करें। इस आश्य की डिक्री तैयार कर तहसीलदार कामां को भेजा जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां

डिगरी व मुकदमे इव्ताई

(ओ0 20 रू06–7)जाप्ता दीवानी

(civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

इजलास **सुरेश कुमार यादव R.A.S.**

मोहन सिंह बगैरा बनाम भगवानसिंह वगैरा

दावा बावत 53–188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नं0 145/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू वादी व प्रतिवादी अधिवक्तागण हाजिरी..........................मिनजानिव.. मिनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिगरी दी जाती है कि बादी प्रतिवादी गण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :–

– मोहन सिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद कौम अहीर सा0 देह खातेदार आराजी ख0नं0 4261/3/0.14, वाके कस्बा कामां नं0 2 , 4554/1/1/0.11, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3

– जगदीश पुत्र दुर्गा प्रसाद कौम अहीर सा0 देह खातेदार आराजी ख0नं0 4261/1/0.15, वाके कस्बा कामां नं0 2 , 4554/1/3/0.11, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3

– भगवानसिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद कौम अहीर सा0 देह खातेदार आराजी ख0नं0 4261/2/0.15, वाके कस्बा कामां नं0 2 ,4554/1/2/0.11, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3

– विष्णु पुत्र बालकिशन नमासा दुर्गाप्रसाद सपना, राधा नमासी दुर्गाप्रसाद कौम अहीर साकिन देह खातेदार 4554/1/4/0.15, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3

– गंगाचरन , शेरसिंह, गजराज , राजवीर , भूरा ,पुत्रान ग्यासो केशर, कस्तूरी, अगूरी पुत्रीयान ग्यासो कौम अहीर साकिन देह खातेदार 4554/1/5/0.04, हैक्टयर वाके ग्राम कस्बा कामां नं0 3

आज दिनांक 20.02.2019 मुबालिग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... को सर्दी सालाना आज की तरीख से तारीख वसूलयावी .... तक अदा करें।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.02.2019को जारी की गई ।

(सुरेश कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां

मुद्दई	रूप्या	पैसे	मुददालय	रूप्या	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बावत इजराय हुक्मनामा			बावत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

मुहर

(सुरेश कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां